राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / क्लेम मैनेजमेंट / 2022–23 / 643 दिनांक 20 अगस्त, 2022

आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रेफरल व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्देश

आयुष्मान योजना की मूल अवधारणा यह है कि लाभार्थियों का सर्वप्रथम राजकीय चिकित्सालयों में उपचार किया जाय और यदि राजकीय चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध नहीं हो सकता है तो निजी अस्पतालों का सहयोग लिया जाय। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा रेफरल हेतु नीति बनायी गयी है।

रेफरल की व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04 मई, 2020 को शासनादेश निर्गत किया गया है। चूंकि इस शासनादेश निर्गत होने के पश्चात लगभग 2 वर्ष तक कोविड की स्थिति रही, अतः आयुष्मान योजना के अन्तर्गत उपचार हेतु बायोमैट्रिक तथा रेफरल की व्यवस्था को स्थगित रखा गया। अब अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक किये जाने तथा रेफरल की व्यवस्था पुनः लागू है।

आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कुल 225 अस्पताल सूचीबद्ध हैं। इनमें 102 राजकीय चिकित्सालय तथा 123 निजी चिकित्सालय शामिल हैं। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न जनपदों में राजकीय एंव निजी चिकित्सालयों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश के अनुसार प्रदेश के 3 निजी मेडिकल कॉलेज, 39 NABH Accredited निजी चिकित्सालय तथा पहाड़ी जनपदों के 7 निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु रेफरल की आवश्यकता नहीं है। शेष 74 निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु रेफरल अनिवार्य है।

ऐसे सभी निजी चिकित्सालय जहां रेफरल की आवश्यकता नहीं है तथा वे चिकित्सालय जिनके लिये रेफरल प्राप्त करना अनिवार्य है उन दोनों की सूची राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की वेबसाइट **www.sha.uk.gov.in** पर उपलब्ध है। योजना के लाभार्थियों द्वारा चिकित्सालयों के सम्बन्ध में यह जानकारी प्राधिकरण के टोल फ्री नम्बर 155368 तथा 18001805368 से भी प्राप्त की जा सकती है। सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में रेफरल की आवश्यकता के सम्बन्ध में आयुष्मान योजना के लाभार्थी किसी भी राजकीय चिकित्सा केन्द्र से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रेफरल के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश 04 मई, 2020 के अन्तर्गत मुख्य रूप से यह व्यवस्था की गयी है कि रेफरल निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि रोगी का उपचार राजकीय चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / उप जिला चिकित्सालय / जिला चिकित्सालय / बेस चिकित्सालय / राजकीय मेडिकल कॉलेज आदि) में किया जाय। यदि ऐसे राजकीय चिकित्सालय में उपचार सम्भव नहीं हो तो रेफरल फॉर्म में स्पष्ट कारण बताया जाय। यदि किसी उचित कारण से ऐसे राजकीय चिकित्सालय में उपचार सम्भव नहीं हो सकता है तो रोगी के उपचार हेतु निकटवर्ती दूसरे राजकीय चिकित्सालय में रेफर कियां जाय। यदि ऐसे अन्य किसी राजकीय चिकित्सालय में भी उपचार सम्भव नहीं है तभी रोगी को उपचार हेतु सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में रेफर किया जाये।

यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि रेफरल के सम्बन्ध में शासनादेश के अनुसार इमरजेंसी केस में जहां रोगी को तत्काल उपचार की आवश्यकता है, रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसी इमरजेंसी की दशा में किसी भी सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय द्वारा बिना किसी रेफरल के आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रोगी का उपचार किया जा सकता है। अतः शासनादेश में इमरजेंसी की दशा में उपचार हेतु रेफरल से **Exemption** प्रदान की गयी है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा अपने नियमित ऑडिट के दौरान रेफरल के सम्बन्ध में कतिपय विसंगतियां प्रकाश में आयी हैं। **राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा परीक्षण करने पर रेफरल के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण विसंगति यह प्रकाश में आयी है कि किसी उचित कारण से राजकीय चिकित्सालय में रोगी का उपचार सम्भव नहीं होने पर उनके द्वारा निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप जिला चिकित्सालय/जिला चिकित्सालय/बेस चिकित्सालय/राजकीय मेडिकल कॉलेज में रेफर नहीं किया गया वरन् सीधे निजी चिकित्सालय हेतु रेफर कर दिया गया। शासनादेश तथा रेफरल पॉलिसी की मूल भावना यह है कि किसी भी राजकीय चिकित्सालय में समुचित कारण से इलाज सम्भव न होने पर ही निजी चिकित्सालय को रेफर किया जाय और ऐसी दशा में निजी चिकित्सालय को रेफर करने का स्पष्ट कारण का भी रेफरल फॉर्म में उल्लेख किया जाय।**

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ऐसे रेफरल जो शासनादेश के अनुसार नहीं है को अमान्य किया गया है। प्राधिकरण की Implementation Support Agency (ISA) को यह निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे रेफरल जो शासनादेश के अनुसार नहीं है उनके सम्बन्ध में Pre-authorization को स्वीकृत न किया जाय। समस्त निजी चिकित्सालय जिन्हें रोगी का उपचार करने हेतु रेफरल प्राप्त करना अनिवार्य है को भी यह निर्देश दिये गये हैं कि शासनादेश की शर्तों एंव समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत Valid रेफरल के आधार पर ही रोगी के उपचार हेतु Pre-authorization दाखिल करें। समस्त राजकीय चिकित्सालयों को भी यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वे निजी चिकित्सालय हेतु तभी रेफरल निर्गत करें जब उनके स्वयं के राजकीय चिकित्सालय में तथा निकटवर्ती अन्य राजकीय चिकित्सालय में रोगी का उपचार सम्भव न हो और इसके कारण का उल्लेख रेफरल फार्म में भी स्पष्ट रूप से किया जाय।

भवदीय,

(डॉ0 वागीश चन्द्र काला)
निदेशक–क्लेम मैनेजमेंट